

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय
आदेश

1/उ० नि० स्थानान्तरण/पदस्थापन 05-01/17

ज्ञापांक :-

1988

पटना, दिनांक :-

30.06.2017

मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 434 दिनांक 01.03.2007 पठित सह संकल्प संख्या 1697 दिनांक 28.05.2008, पत्रांक 881 दिनांक 03.06.2009 एवं पत्रांक 1243 दिनांक 08.10.14 के आलोक में उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों में पदस्थापित आशुलिपिकों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान/केन्द्र पर पदस्थापित किया जाता है :-


सम्वर्ग :- आशुलिपिक

क्र०	कर्मि का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री अरुण कुमार साह	आशुलिपिक	जि०उ०के०, मुजफ्फरपुर।	जि०उ०के०, बेगूसराय।
2.	श्री विनोद कुमार साह	आशुलिपिक	जि०उ०के०, पूर्णियाँ।	जि०उ०के०, अररिया।
3.	श्री विजय कुमार चौधरी	आशुलिपिक	जि०उ०के०, शिवहर।	जि०उ०के०, शेखपुरा।
4.	श्री विजय कुमार	आशुलिपिक	जि०उ०के०, भागलपुर।	निदेशालय आदेश संख्या 2385 दिनांक 30.06.16 द्वारा तकनीकी विकास निदेशालय, पटना में किया गया स्थानान्तरण यथावत।
5.	श्री प्रमोद कुमार	आशुलिपिक	जि०उ०के०, रोहतास।	जि०उ०के०, वैशाली।
6.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	आशुलिपिक	उ०म०शि०अनु०सं०, पटना।	जि०उ०के०, जमुई।

2. सभी स्थानान्तरित/प्रतिनियुक्त कर्मि अपने पटल का प्रभार सौंपकर पत्र निर्गत की तिथि से दस दिनों के अन्दर नवपदस्थापन स्थान पर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। सभी स्थानान्तरित कर्मियों का माह जुलाई, 2017 का वेतन भुगतान उनके नवपदस्थापन स्थान से ही होगा।

3. सभी महाप्रबंधक/नियंत्रि पदाधिकारी स्थानान्तरित कर्मियों को नवपदस्थापन स्थान पर योगदान करने हेतु ससमय विरमित कर देंगे, अन्यथा दिनांक 15.07.2017 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

4. आशुलिपिक सम्वर्ग में क्रम संख्या-5 पर उल्लिखित कर्मि का स्थानान्तरण उनसे प्राप्त विकल्प/अभ्यावेदन के आधार पर किये जाने के आलोक में है। उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। शेष क्रम संख्या में अंकित स्थानान्तरित सभी कर्मियों को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।


क०पु०उ०

ज्ञापांक :- 1988

पटना, दिनांक :- 30.06.2017

1/उ० नि० स्थानान्तरण/पदस्थापन 05-01/17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1988

पटना, दिनांक :- 30.06.2017

1/उ० नि० स्थानान्तरण/पदस्थापन 05-01/17

प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1988

पटना, दिनांक :- 30.06.2017

1/उ० नि० स्थानान्तरण/पदस्थापन 05-01/17

प्रतिलिपि :- माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, उद्योग विभाग/उप सचिव, उद्योग विभाग/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/अपर उद्योग निदेशक/सभी संयुक्त उद्योग निदेशक/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधन संस्थान, पटना/सभी उप उद्योग निदेशक/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा/योजना)/सभी सम्बन्धित महाप्रबंधक/सभी सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।